

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 14 (परिशिष्ट "अ")

क्र०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम के मजरा टोलों के नाम
1	2	3
1	भरतौली	विजयपुर
2	भरतौली	कोडन
3	गुलगंज	पठापुर
4	गोपालपुरा	टपरियन
5	मल्लगुवा	अलगाजा
6	अनगौर	कुवरपुरा
7	अनगौर	जुझारन का पुरवा
8	अनगौर	बडामहुआ
9	अनगौर	गरयारा
10	पनागर	पनागर का पुरवा
11	पिपट	जमुनया पुरवा
12	जसगुवाकला	टपरियन
13	मगलपुरा	मौलापुरवा
14	बसरोही	टपरियन
15	बक्सोई	बछरगुवा
16	लखनगुवा	बुदगुवा
17	लखनगुवा	ननौरा
18	रगौली	कोडन
19	झरगुवा	पठवापुरवा
20	नदगायचटन	बहारगंज
21	कसार	नवलगंज
22	कूपिया	रामनगर
23	देवरा	टपरियन
24	धरमपुरा	टपरियन ज्यासी
25	विहरवारा	गनेशगंज
26	जैतपुर	लभनाडेर



अधीक्षक भूअभिलेख
जिला उत्तरप्र ०१०

क्रमांक 1195 / 11 भू.प./मा.चि.शा./म.टो./2012

ग्यालियर दिनांक 17/5/2012

प्रति,

अज्ञात-14

41.10

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्ट्रेट जिला समस्त
(म.प्र.)।

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने कायदा ।
संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्ट्रेट को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11 भू.प./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्यालियर दिनांक 16.4.2012.

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हंकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जायें :-

- (अ) भू-राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।
- (ब) प्रथम बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।
- (स) पृथक बनाने जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त अ.व.स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हंकित कर सूची, एवं सूचित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के कानूनीयों की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हंकित मजरे टोलों की नामधार सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हैं, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने ध्यात आदेशित किया जाता है ।

राज्य आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

3/11/2012

५२७७

७७

कमक
प्रतिलिपि

/11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012

ग्वानियर दिनांक

- 1- कलेक्टर जिला समस्त म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विषयवस्तु जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।
- 2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला समस्त म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

साहि

संयुक्त आयुक्त

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्य प्रदेश